



## महाराष्ट्र शासन

### विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर.

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर कोल्हापूर-४१६ ००४

Email:-jdhekop@gmail.com Web Site - www.jdhekop.org, Blog- jdhekop.blogspot.com

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४

फॅक्स (०२३१) २५३५४००

जा.क्रं.विससं/उशि/कोवि/पद.कॅम्प/२०१६-१७/

दि.१४/१२/२०१६.

#### पदमान्यता सन २०१६-१७

प्रति,  
प्राचार्य,  
श्री संत गाडगे बाबा महाविद्यालय,  
पश्ची, ता.शाहवाडी, जि. कोल्हापूर

विषय :- दि.०१.१०.२०१६ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता कार्यभारानुसार शिक्षक पदांना मान्यता देणेबाबत...

संदर्भ :- १. संचालनालयाकडील पत्र क्रं.१३२२७ दि.२३.११.२०१६.

२. शासन निर्णय दि.१९.०६.१९७८.

३. शासन निर्णय दि.२७.०२.१९७९.

४. शासन निर्णय दि.१३.०९.१९९१.

५. शासन निर्णय दि.१३.०९.१९९१.

६. शासन निर्णय दि.११.१२.१९९९.

७. शासन निर्णय दि.१८.१०.२००१.

८. शासन निर्णय दि.०३.०५.२००३.

९. शासन निर्णय दि.१५.०२.२०११.

१०. युजीसीची अधिसूचना दि.३०.०६.२०१०.

११. संचालनालयाकडील पत्र दि.२८.०१.१९८३.

१२. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.१०.१९९१.

१३. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.०४.१९९५.

१४. संचालनालयाकडील पत्र दि.१९.०६.१९९५.

१५. आपलेकडील पत्र क्रं./समक्ष दि.१४/१२/२०१६.

संदर्भ क्रं.१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकड्या, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे. सदरहू माहिती ही आपण दिलेली माहिती खरी आहे आणि त्याची सत्यता आपण स्वतः पडताळणी केली आहे असे गृहीत धरून खालील पदमान्यता करून देण्यांत येत आहे. आपण सादर केलेल्या माहितीनुसार अनुदानित तुकड्यांची व विद्यार्थी संख्येची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्र. | विद्याशाखा    | शासन मान्य अनुदानित विभाग                    |                   |                                               | शासनमान्य कायम विनाअनुदानित विभाग            |                   |                                               |
|---------|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|         |               | शासन मान्यतेनुसार अनुदानित तुकड्यांची संख्या | पैकी चालू तुकड्या | चालू तुकड्यांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या | शासन मान्यतेनुसार अनुदानित तुकड्यांची संख्या | पैकी चालू तुकड्या | चालू तुकड्यांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या |
| १       | बी.ए.भाग-१    | १                                            | १                 | १२९                                           | -                                            | -                 | -                                             |
| २       | बी.ए.भाग-२    | १                                            | १                 | ८२                                            | -                                            | -                 | -                                             |
| ३       | बी.ए.भाग-३    | १                                            | १                 | ५२                                            | -                                            | -                 | -                                             |
|         | एकूण          | ३                                            | ३                 | २६३                                           | -                                            | -                 | -                                             |
| १       | बी.कॉम.भाग-१  | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |
| २       | बी.कॉम.भाग-२  | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |
| ३       | बी.कॉम.भाग-३  | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |
|         | एकूण          | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |
| १       | बी.एससी.भाग-१ | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |
| २       | बी.एससी.भाग-२ | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |
| ३       | बी.एससी.भाग-३ | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |
|         | एकूण          | -                                            | -                 | -                                             | -                                            | -                 | -                                             |

संदर्भीय शासन निर्णय व संचालनालयाकडील पत्र आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहित केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमुद असणाऱ्या एकूण कार्यभारानुसार आपल्या महाविद्यालयांस खालीलप्रमाणे शिक्षक पदांना मान्यता देण्यांत येत आहे. सदरहू विद्यार्थी संख्येमध्ये तफावत आढळून आल्यास त्यांस सर्वस्वी जबाबदार आपण असाल. सदरहू अनियमिततेमुळे पदांची संख्या कमी किंवा जास्त करण्यासाठीचा अधिकार अबाधित ठेवून सदरहू मान्यता प्रदान करण्यांत येत आहे.

| अ. क्र. | विषय         | १९-०० चा मंजूर कार्यभार | १९-०० ची मंजूर पदे | १६-१७ चा मंजूर कार्यभार | १६-१७ ची मंजूर पदे |         | १६-१७ ची भरलेली पदे |         | १६-१७ ची रिक्त पदे |         | कार्यभारा नुसार वाढीव पदे | शेरा |
|---------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------|------|
|         |              |                         |                    |                         | पूर्णवेळ           | अर्धवेळ | पूर्णवेळ            | अर्धवेळ | पूर्णवेळ           | अर्धवेळ |                           |      |
| १       | मराठी        | ३६                      | २                  | ३६                      | २                  | -       | २                   | -       | -                  | -       | -                         | -    |
| २       | हिंदी        | ३२                      | २                  | ३२                      | २                  | -       | १                   | -       | १                  | -       | -                         | -    |
| ३       | इंग्रजी      | २४                      | २                  | २४                      | २                  | -       | २                   | -       | -                  | -       | -                         | -    |
| ४       | इतिहास       | ३६                      | २                  | ३६                      | २                  | -       | १                   | -       | १                  | -       | -                         | -    |
| ५       | अर्थशास्त्र  | ३२                      | २                  | ३२                      | २                  | -       | २                   | -       | -                  | -       | -                         | -    |
| ६       | राज्यशास्त्र | १६                      | १                  | १६                      | १                  | -       | १                   | -       | -                  | -       | -                         | -    |
| ७       | भूगोल        | १६                      | १                  | १६                      | १                  | -       | १                   | -       | -                  | -       | -                         | -    |
| ८       | समाजशास्त्र  | १६                      | १                  | १२                      | १                  | -       | १                   | -       | -                  | -       | -                         | -    |
| ९       | शा.शि.संचाल  | ४०                      | १                  | ४०                      | १                  | -       | ०                   | -       | १                  | -       | -                         | -    |
| १०      | ग्रंथपाल     | ४२                      | १                  | ४२                      | १                  | -       | ०                   | -       | १                  | -       | -                         | -    |
| ११      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १२      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १३      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १४      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १५      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १६      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १७      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १८      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| १९      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| २०      |              |                         |                    |                         |                    |         |                     |         |                    |         |                           |      |
| एकूण    |              | -                       | १५                 | -                       | १५                 | -       | ११                  | -       | ४                  | -       | -                         | -    |

नवीन वाढीव पदे या कार्यालयांच्या पूर्व परवानगीशिवाय भरण्यांत येवू नयेत. सदरहू पदे या कार्यालयांच्या मान्यतेशिवाय भरलीत तर सदरहू पदांच्या वेतन व संपूर्ण सेवा याबाबत महाविद्यालय प्रशासन, संस्था व नियुक्ती प्राधिकारी हे जबाबदार राहतील.

|      | मंजूर पदे            | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|------|----------------------|------------|-----------|
| ०१   | प्राचार्य            | १          | -         |
| ०२   | अधिव्याख्याते        | १२         | २         |
| ०३   | ग्रंथपाल             | १          | १         |
| ०४   | शा.शि.संचालक         | १          | १         |
| ०५   | अर्धवेळ शिक्षक       | -          | -         |
| एकूण |                      | १५         | ४         |
| ०१   | तासिका तत्वावरील पदे |            |           |

अ) मंजूर पदांचा तपशिल.

| अ.क्र. | सहाय्यक प्राध्यापक | सहयोगी प्राध्यापक | प्राध्यापक |          |
|--------|--------------------|-------------------|------------|----------|
|        |                    |                   | सरळसेवा    | पदोन्नती |
| १      | ०८                 | ४ = १२            | -          | -        |

कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयातील वरीलप्रमाणे जादा पद/पूर्वीच्या पदास खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती देण्यात येत आहे.

आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भातील न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकड्या/विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे. कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयास वरीलप्रमाणे जादा पदे/पूर्वीची पदे खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती कळविण्यात येत आहे.

१. आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भीय न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकड्या/विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे.

२. व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/ टयुटोरियल (पाठयनिर्देशन) / प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरीता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरूरीचे आहे.

३. प्रात्यक्षिकाकरीता विज्ञान शाखेतील प्रथम वर्ष व तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरीता असणारा गट (बॅच) किमाण २०,१६,१२ व २०,२०,१६ याप्रमाणे संख्या असावी.

४. विषयनिहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षांत वेळापत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणाऱ्या व १८/२० तासिका पर्यंत कार्यभार अपूरा असणा-या अधिव्याख्यात्यांना कमी पडणार कार्यभार कनिष्ठ विभागाकडील किंवा विभाग नसलेल्या त्याच विषयांचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे. तथापि, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विनाअनुदानित विभागाकडील कार्यभार दाखवून वेतन अनुदान घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

५. सदरहू पदावरील नियुक्त्या ही प्रचलित असलेल्या युजीसीच्या अधिसूचना / शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यांत याव्यात.

६. विषयाची/ विद्याशाखेची / तुकडीची किमाण विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार असावी.

७. सर्व संबंधीत विषय / तुकड्या १०० टक्के अनुदानास पात्र ठरविलेल्या बाबतची शासन पत्रे/ आदेश महाविद्यालयांकडे उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे.

८. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणांमुळे अनुदान पात्र कार्यभार कमी झालेस त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यांत येईल.

९. नविन पदावरील नियुक्ती करण्यापूर्वी अतिरीक्त शिक्षकांची यादी शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरून प्राप्त करून घ्यावी.

शासन निर्णय दि.१३.०२.२०००, दि.१६.०६.२००० व दि.२७.०६.२०१३ नुसार प्राप्त नसलेल्या (नेट/सेट/ पी.एच.डी.) परिक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील उर्मेद्वारांची भरती करणेस बंदी आहे. अश्या नेमणूका तासिका तत्वावरती गणल्या जातील. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकांस ०७ तासिकेपेक्षा जादा तासिका प्रतिआठवडा व २१० तासिका प्रतिवर्ष पेक्षा जास्त देवू नयेत पेक्षा जास्त दिल्यास तो अनुदान निर्धारण समयी अमान्य करण्यांत येईल. वाढीव पदे भरण्यांसदर्भात संचालनालय किंवा या कार्यालयांकडून मान्यता घेतल्याखेरीज पदे भरण्यांत येवू नयेत अन्यथा सदरहू पदांच्या वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींविषयी सर्वस्वी जबाबदार नियुक्ती प्राधिकारी/ महाविद्यालय प्रशासन/ प्राचार्य/ संस्था राहिल.

सदरहू पदावरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्यावरील खर्च संबंधीत आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारण समयी उपरोक्त अटीची पूर्तता होत असल्यास या कार्यालयांकडून अनुदानकरीता मान्य ठरविण्यांत येईल. अन्यथा तो अनुदानाकरीता अमान्य झाल्यास त्यास सर्वस्वी महाविद्यालय जबाबदार राहिल.

विभागीय सहसंचालक,  
उच्च शिक्षण,  
कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर

---०००---



## महाराष्ट्र शासन

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर.

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर कोल्हापूर-४९६ ००४

Email:-jdhekop@gmail.com Web Site - www.jdhekop.org, Blog- jdhekop.blogspot.com

फोन नं. (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४

फॅक्स (०२३१) २५३५४००

जा.क्र.विससं/उशि/कोवि/पद.कॅम्प/२०१६-१७/

दि.../१२/२०१६.

पदमान्यता सन २०१६-१७

प्रति,  
प्राचार्य,  
प्राचार्य,  
श्री संत गाडगे बाबा महाविद्यालय,  
पणशी, ता.शाहवाडी, जि. कोल्हापूर

विषय :- दि.०१.१०.२०१६ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता कार्यभारानुसार शिक्षकेतर

पदांना मान्यता देणेबाबत...

संदर्भ :- १. संचालनालयाकडील पत्र क्र.१३२२७ दि.२३.११.२०१६.

२. आपलेकडील पत्र क्र..... दि.१४/१२/२०१६.

शासन आदेश क्रमांक एनजीसी/१२८०/१५०१६३/रोमन-३१ दि.२२.०२.१९८० मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालया कडील अनुदानप्राप्त विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या आहे. असे कर्मचारी वर्ग मंजूर ग्राह्य धरून खालील प्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यांत येत आहे.

| गट | पदनाम              | मंजूर पदे                                        |                                   | भरलेली पदे                                       |                                   | रिक्त पदे                                        |                                   |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                    | दि.२२.०२.१९८० च्या आकृतीबंधानुसार १९९८-९९ ची पदे | दि.२६.०८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार | दि.२२.०२.१९८० च्या आकृतीबंधानुसार १९९८-९९ ची पदे | दि.२६.०८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार | दि.२२.०२.१९८० च्या आकृतीबंधानुसार १९९८-९९ ची पदे | दि.२६.०८.१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार |
| ब  | प्रबंधक            | -                                                | -                                 | -                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
| अ) | एकूण - ब           | -                                                | -                                 | -                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
| क  | अधिक्षक            | ०                                                | ०                                 | ०                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
|    | मुख्य लिपीक        | १                                                | १                                 | १                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
|    | लघुलेखक (वरीष्ठ)   | ०                                                | ०                                 | ०                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
|    | लघुलेखक (क)        | ०                                                | ०                                 | ०                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
|    | वरिष्ठ लिपीक       | १                                                | १                                 | १                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
|    | कनिष्ठ लिपीक       | १                                                | १                                 | ०                                                | -                                 | १                                                | -                                 |
|    | ग्रंथालय लिपीक     | ०                                                | ०                                 | ०                                                | -                                 | -                                                | -                                 |
|    | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ०                                                | ०                                 | ०                                                | -                                 | -                                                | -                                 |

|                    |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| ब ) एकूण गट-क      | ३ | ३ | २ | - | १ | - |
| ड प्रयोगशाळा परिचर | ० | ० | ० | - | - | - |
| ग्रंथालय परिचर     | २ | २ | १ | - | १ | - |
| शिपाई              | ३ | ३ | १ | - | २ | - |
| तात्रिक            | ० | ० | ० | - | - | - |
| समन्वयक            | ० | ० | ० | - | - | - |
| क) एकूण - ड        | ५ | ५ | २ | - | ३ | - |
| तबलजी              | ० | ० | ० | - | - | - |
| भांडारपाल          | ० | ० | ० | - | - | - |
| सहाय्यक ग्रंथपाल   | ० | ० | ० | - | - | - |
| लेखापाल            | ० | ० | ० | - | - | - |
| ख )                | ० | ० | ० | - | - | - |
| अ,ब,क व ख ची एकूण  | ८ | ८ | ४ | - | ४ | - |

| विद्यार्थी संख्या | सर्व विद्याशाखा | फक्त विज्ञान विद्याशाखा |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| वरीष्ठ विभाग      | २६३             | -                       |
| कनिष्ठ विभाग      | -               | -                       |
| पदव्युत्तर विभाग  | -               | -                       |
| एकूण              | २६३             | -                       |

वरील प्रमाणे मंजूर आकृतीबंधामुळे वाढीव पदे १०० बिंदु-नामावली प्रमाणे व ५० बिंदु-नामावली प्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा/ प्रमाणसंहिता/ वेळोवेळी शासनाकडून दिले जाणारे शासन निर्णय, शासन आदेश, शासन परिपत्रक , संचालनालयाकडील व या कार्यालयांकडील आदेशान्वये भरण्यांत यावेत. सन १९९८-९९ नंतर मंजूर केलेल्या नविन पदांवरती नियुक्ती करण्यापूर्वी अतिरीक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त करून द्यावी किंवा संस्थेच्या स्तरावर अतिरीक्त ठरणाऱ्या / ठरलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना समावून घेण्यांत यावे. तसेच नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयांची मान्यता घेवूनच वेतन अदा करण्यांत यावे. त्यामुळे अनुदान निर्धारण समयी वेतन अमान्य होणार नाही.

विनाअनुदानित विद्यार्थी संख्येचा समावेश एकूण विद्यार्थी संख्येत असलेचे आढळून आल्यास किंवा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास वाढीव पदांचा आकृतिबंध रद्द समजण्यांत येईल. शासन निर्णय दि.०१.०३.२००० व दि.२९.०६.२००० अन्वये नविन पदे निर्मिती तसेच सेवानिवृत्ती / स्वेच्छानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यू अथवा विद्यार्थी संख्या वाढ इ. मुळे रिक्त असलेली पदे भरण्यांस बंदी असल्यामुळे अशा प्रकारची पदे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भरण्यांत येवू नयेत. अन्यथा त्यावरील खर्च अनुदानास पात्र धरण्यांत येणार नाही. अशा प्रकारच्या अनियमिततेस सर्वस्वी महाविद्यालय प्रशासन / प्राचार्य / संस्था / नियुक्ती प्राधिकारी हे जबाबदार राहतील.

विभागीय सहसंचालक,  
उच्च शिक्षण,  
कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर

---०००---